प्रेस नोट- थाना अल्हागंज

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य, दिनांक- 01.02.2026

“थाना अल्हागंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अज्ञात अपराधी का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को सूचना के 07 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम अपराध, तलाश वांछित/वारन्टी, चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन आदि के दौरान थाना अल्हागंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 31.01.2026 को वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र पुत्र नोखेलाल, जाति जाटव, निवासी ग्राम रावतपुर, थाना अल्लागंज, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गई तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र कमलेश उर्फ कल्लू, उम्र करीब 17 वर्ष की हत्या कर दिए जाने के संबंध में थाना अल्लागंज पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग मु0अ0सं0 26/2026 धारा 103(1) B.N.S पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष अल्हागंज द्वारा संपादित की जा रही है। अभियोग में अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही, घटना के अनावरण, घटनास्थल के आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ तथा गोपनीय रूप से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अभियुक्त अनीस पुत्र धनपाल उर्फ विशाल, उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रावतपुर, थाना अल्लागंज, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना एवं निशादेही पर अभियुक्त अनीस पुत्र धनपाल उर्फ विशाल को **रावतपुर मोड़ से लगभग 100 मीटर पहले**, समय करीब **17:05 बजे**, पुलिस हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने किए गए जुर्म को स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (यूकेलिप्टस का डंडा) अपनी निशादेही पर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूरी पर स्थित तालाब से बरामद कराया गया। आलाकत्ल की बरामदगी तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि अभियुक्त अनीस उपरोक्त द्वारा उक्त घटना कारित की गई। जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनीस पुत्र धनपाल उर्फ विशाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रावतपुर थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।

➢ गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय-

1. रावतपुर मोड से करीब 100 मीटर पहले, दिनांक 31.01.2026 समय 17.05 बजे।

➢ पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 103(1) B.N.S बनाम अनीस थाना अल्हागंज शाहजहाँपुर,

➢ बरामदी का विवरण-

1. आलाकत्ल- डण्डा (यूकेलिप्टस), लम्बाई 04 (चार) बालिस्त

➢ तस्करा पूछताछ अभियुक्त ....

अभियुक्त अनीस पुत्र धनपाल उर्फ विशाल, निवासी ग्राम रावतपुर, थाना अल्लागंज, जनपद शाहजहाँपुर ने पूछताछ में बताया कि कमलेश उर्फ कल्लू काफी दिनों से मेरी पत्नी ज्योति से मिलता-जुलता था। एक दिन मैनें उसके मोबाइल में चेटिंग देखी तथा बातचीत करते हुए एवं प्रेम संबंध बनाते देख लिया था। उसी समय से मैं उसे निपटाने की योजना बना रहा था। दिनांक 30.1.2026 को शाम करीब 7.00 बजे मैं कमलेश उर्फ कल्लू को

विश्वास में लेकर उसके घर से बुलाकर पंचायत भवन तक ले गया तथा बरामदें में बैठाकर बातचीत करने लगा, तभी अचानक मैनें डण्डे से उसके मुँह एवं सिर में पीछे जोर से वार कर उसकी हत्या कर दी थी, जिस डण्डे से मैनें हत्या की है वह मैनें वहीं पास के तालाब में फैंक दिया था। मैं रावतपुर मोड पर बाहर जाने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा था कि आपने मुझे पकड लिया है। साहब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री ओमप्रकाश, थानाध्यक्ष थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार, थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 545 अविनाश सिंह, थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 354 विक्रम सैनी, थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1401 पवन कुमार, थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर